

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/8/86/समिति/72

भोपाल, दिनांक 20-08-1986

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक  
(30) म0प्र0 भोपाल

विषय:- राज्य केन्द्र एवं अन्य, राज्य शासनों के विभाग एवं उनके द्वारा संचालित उद्योग, निगम, संस्थान आदि को इमारती लकड़ी प्रदाय हेतु दर निर्धारण एवं तत्संबंध में वन अधिकारियों को वित्तीय अधिकार प्रदत्त करना ।

-----0-----

राष्ट्रीकृत वनउपज अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 8-8-86 में ।

उपरोक्त विषय में निम्नानुसार कार्यवाही करने का एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:-

(1) राज्य केन्द्र एवं अन्य राज्य शासन के विभाग तथा उनके द्वारा संचालित उद्योग, निगम, संस्थानों आदि को इमारती लकड़ी की प्रदाय की दर का निर्धारण विगत 12 माह के नीलामों में प्राप्त अधिकतम दरों के औसत दर में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाकर निर्धारित की जावें । बारह (12) माह की गणना जुलाई से 30 जून तक की अवधि के लिये की जायेगी । लकड़ी प्रदाय हेतु पर्यवेक्षण शुल्क, वन विकास उप कर, विक्रय कर तथा अन्य कर इत्यादि नियमानुसार अतिरिक्त रूप से वसूल की जावेगी ।

(2) मध्यप्रदेश स्थित सभी डिपो से विक्रय मध्यप्रदेश राज्य सीमा के अन्तर्गत प्रदाय की गई वनोपज सदृश्य माने जावेंगे ।

(3) उपरोक्त प्रदाय हेतु निम्न अधिकारियों को (प्रत्येक संस्थान/विभाग हेतु एक वित्तीय वर्ष में) उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार वित्तीय अधिकार प्रदत्त किये जाते हैं:-

- (1) वन मंडलाधिकारी 10 हजार रूपये तक
- (2)
- (3) मुख्य वन संरक्षक 3 लाख रूपये तक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार  
(एस.डी. द्विवेदी)  
पदेन उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग